


13-08-25

पत्रावली वेश हुई। ककील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का वाइपत्र अदम पेंकी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बंद तरीका तकमील होकर डाकिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर लुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनील कुमार चौधरी)
R.A.S